Proposed Revisions in the Standard BID Document for Road and Bridge Works- 2025

S.No.	Particular	Existing Provisions	Proposed Amendments	Reason for proposed amendment
1.	**Defect Liability Period (clause 18 of the tender document)**	**(A) For Road Works:** (i) For New Road (Bituminous) construction along with granular crust (including strengthening): - 5 Year (ii) For New Road (Concrete) Construction (including strengthening) - **5 Years.** (iii)For Renewal with BT layer equal to or less than 30 mm thickness -3 Years. (iv)For Renewal with BT layer more than 30mm thickness: 5 Years. **(A) For Bridge Works**-3 Years to execute, complete and maintain works in accordance with agreement and special conditions of contract (SCC) after issuance of physical completion certificate as per "Annexure-U" (C) For Road Maintenance - 1 Year (The work of strengthening and renewal shall not be treated as road maintenance work)	**(A) For Road Works:** (i) No Change (ii) For New Road (Concrete) Construction (including strengthening)-**10 Years.** (iii) No Change (iv) No Change **(B) For Bridge Works – 10 Years** **For culverts, cross drain etc. Works- 5 Years** to execute, complete and maintain works in accordance with agreement and special conditions of contract (SCC) after issuance of physical completion certificate as per "Annexure-U" (C) No Change	To ensure **better durability and accountability** of contractors and by keeping in mind the life Span of Concrete, the period extended to make the contractor responsible for longer maintenance and performance.
2.	**Performance Security shall be valid up to (clause no 29 of the tender document)**	The upfront Bank Guarantee against Performance Security shall be taken for a period as mentioned below-	The upfront **E-Bank Guarantee, along with** auto renewal of Bank Guarantee, against Performance Security shall be taken for a period as mentioned below- (a) **Works having Performance Guarantee of 10 Years for Road and Bridge Works - Construction Period+10 Years + 3 Months**	To ensure security remains valid during entire DLP and avoid lapses due to manual BG extensions. Also introduces digital (E-BG) system as per **GoI e-procurement reforms & GFR GoI**.

S.No.	Particular	Existing Provisions	Proposed Amendments	Reason for proposed amendment
		(a) Works having Performance Guarantee of 5 Years - Construction Period+3 Years + 3 Months. (b) Works having Performance Guarantee of 3 Years- Construction Period +2 Years + 3 Months. (c)Works having Performance Guarantee of 1 Year- Construction Period + 1 Year+ 3 Months. It is clarified that in case the construction period of the work is extended beyond the stipulated completion period, the Bank Guarantee against PG shall have to be got extended by the contractor for the relevant period so as to satisfy the validity criteria mentioned above.	(b)Works having Performance Guarantee of 5 Years for New Road (Bituminous) construction along with granular crust (including strengthening), For Renewal with BT layer more than 30mm thickness, For culverts, cross drain etc.: - Construction Period+**5 Years** + 3 Months. (c)Works having Performance Guarantee of 3 Years for Renewal with BT layer equal to or less than 30 mm thickness - Construction Period +**3 Years** + 3 Months. (d). Works having Performance Guarantee of 1 Year for Road Maintenance - Construction Period + 1 Year+ 3 Months. It is clarified that in case the construction period of the work is extended beyond the stipulated completion period, the Bank Guarantee shall be extended by the contractor for the relevant period.	
3.	**Extension of Time Clause-14**	• If the Contractor desires an extension of time for completion of the work on the ground of his having been unavoidably hindered in its execution or on any other grounds, he shall apply, in writing, to the Engineer-in-charge, on account of which he desires such extension. Engineer-in-Charge shall forward the aforesaid application to the Competent Authority as prescribed.	• The contract is for completion of works and therefore non approval of EOT (extension of time) shall not in any way invalidate the contract. The contractor will have to complete the works. • In the event of delays attributable to the contractor, the EOT shall not be given by the Engineer-in-Charge and the Liquidated Damages shall be levied from the contractor in accordance with the	Clause restructured as per MPPWD Order 23.03.2018, specifying that EOT may be granted only for delays not attributable to contractor. To bring uniformity with PWD rules and discourage misuse of

S.No.	Particular	Existing Provisions	Proposed Amendments	Reason for proposed amendment
		• The competent authority shall grant such extension at each such occasion within a period of 30 days of receipt of application from contractor and shall not wait for finality of work. Such extensions shall be granted in accordance with provisions under clause-15 of this agreement. • In case the work is already in progress, the Contractor shall proceed with the execution of the works, including maintenance thereof, pending receipt of the decision of the competent authority as aforesaid with all due diligence.	provisions of the contract. In the event, the delays are not attributable to the contractor the EOT may be issued by the Engineer-in-Charge Competent Authority (as mentioned in contract data) without imposition of Liquidated Damages either Suo-motto or on a written request of the contractor. It is clarified that out of the total delays in completion of works, the EOT shall be issued only for the part, which is not attributable to the contractor and in this regard speaking order is to be made by the competent authority.	EOT. Contractors were earlier getting blanket extensions; now only justified delays get approval. *(Amended is proposed as per Govt. of MPPWD Order No. F-53-55-2018-19-Yo-1154 Bhopal, dated 23- 03-2018)*
4.	**Additional Performance Security**	For Unworkable Rates: - Performance Security to be deposited (@ equal to: a) If rates are below 10% and up to 20% the value equal to the percentage below 10% of probable amount of contract (PAC) b) If rates are below 20% - as per (a) and twice the value below 20% of probable amount of contract (PAC) The following mathematical method should be adopted for calculating the amount of Additional Performance Guarantee as above: (a)If the Estimated Cost (PAC) of the tender is Rs. 100.00 lakh and the	The rates that are found to be unworkable by the Employer: - Performance Security to be deposited at the rate given below: a) If rates are below 10% and up to 20%, the additional performance security shall be equal to twice the value equal to the percentage below 10% of probable amount of contract (PAC). b) If rates are below 20% - The performance security shall be as per (a) and three times the value below 20% of probable amount of contract (PAC). The following mathematical method should be adopted for calculating the amount of Additional Performance Guarantee as above: (a)If the Estimated Cost (PAC) of the tender is Rs. 100.00 lakh and the	To discourage abnormally low bids that risk poor-quality work or abandonment.

S.No.	Particular	Existing Provisions	Proposed Amendments	Reason for proposed amendment
		successful tenderer have quoted rate 27% below, the calculation of Additional Performance Guarantee will be as follows: - Amount of Additional Performance Guarantee shall be calculated as per (a) = (Probable Amount of Contract - Rates below ISSR beyond 10%) = 100(20%-10%) = 10.00 Lakh As per (b) = Probable Amount of Contract x2 (Rates below ISSR beyond 20%) 100 x 2 x (27-20) = 14.00 lakhs **Thus total 24 lakhs (10+14) additional performance guarantee deposited**.	successful tenderer have quoted rate 27% below, the calculation of Additional Performance Guarantee will be as follows: - Amount of Additional Performance Guarantee shall be calculated as per (a) = (Probable Amount of Contract x2 - Rates below ISSR beyond 10%) = 100x 2x (20%-10%) = 20.00 Lakh As per (b) = Probable Amount of Contract x3 (Rates below ISSR beyond 20%) =100 x 3 x (27-20) = 21.00 lakhs **Thus total 41 lakhs (20+21) additional performance guarantee deposited**.	
5.	**Additional Security Deposit for DLP Period**	Performance Guarantee 3% of PAC + Security Deposit 7% of each bill	Performance Guarantee 3% of PAC + Security Deposit 7% of each bill + **Additional Security Deposit 5% of each bill**	Ensures Contractor maintains roads properly during DLP period.
6.	**Release of Additional Security Deposit for DLP Period**	-	The additional Security Deposit deducted from the running bills shall be released (distributed in equal installments) after each year of successful completion of DLP Period/extended performance guarantee period, if any.	
7.	**JV Condition**	-	No Joint Venture shall be allowed up to Probable Amount of Contract (PAC) of Rs. 25 Crores (Twenty Crores). • The joint venture agreement should be duly notarized as per extent rules, so as to be legally valid and binding on all partners. In the event the JV is declared to be the successful Bidder, the partners of the JV shall	To ensure accountability and financial stability — smaller works to be executed by single contractors; SPV structure ensures legal clarity for larger JV projects.

S.No.	Particular	Existing Provisions	Proposed Amendments	Reason for proposed amendment
			form a Special Purpose Vehicle which should be a company registered under the companies Act, 2013/ Partnership firm registered under "The Indian Partnership Act" to execute the contract. In the SPV, one of the partners shall be the Lead partner who shall hold minimum 51% Shared/share of interest. The said share pattern shall continue during the contract period. All financial transactions including securities and deposits received by the contractor and all the payments to the contractor shall be made to the account of Joint Venture and not the Lead Partner or any other authorised entity.	*(Amended is proposed as per Govt. of MPPWD Order No. 4648/2023/19/Yo Bhopal, dated 26- 09-2023)*
8.	**Defect Identification and Rectification**	Note: In accordance with Clause 18 the defects observed in the works during the Defect Liability Period shall be intimated by the Engineer-in-Charge to the contractor and the contractor shall rectify the defects promptly. In case the defects are not removed in reasonable time, the same can be got done by the Engineer-in-Charge by way of- (a) Deploying departmental labour and material or (b) Engaging a contractor by issuing a work order at contract rate/SOR rate Or (c) Sanctioning supplementary work in a existing agreement to a contractor for zonal works or other similar work Or (d) Inviting open tender or (e) Combination of above The Engineer-in-Charge shall assess the cost of such rectification which shall be recoverable from the contractor from his	Note: In accordance with Clause 18 the defects observed in the works during the Defect Liability Period shall be intimated by the Engineer-in-Charge to the contractor and the contractor shall rectify the defects promptly. In case the defects are not removed in reasonable time, the same can be got done by the Engineer-in-Charge by way of- (a) deploying departmental labour and material or (b) Engaging a contractor by issuing a work order at contract rate/SOR rate Or (c) Sanctioning supplementary work in an existing agreement to a contractor for zonal works or other similar work Or (d) Inviting open tender or (e) Combination of above The Engineer-in-Charge shall assess the cost of such rectification, along with an additional amount of **20% (twenty percent) amount of**	To discourage negligence during DLP period by Contractor, the additional 20% penalty is proposed.

S.No.	Particular	Existing Provisions	Proposed Amendments	Reason for proposed amendment
		Performance Security or any amount due or that may become due to him and from other available securities. If this amount is not sufficient to meet the expenses incurred on rectification, the balance amount may be recovered as Land Revenue Arrears as per MPLRC.	**cost of rectification** after correction of defects, which shall be recoverable from the contractor from his Performance Security or any amount due or that may become due to him and from other available securities. If available amount due/ or may become due towards contractor amount is not sufficient to meet the expenses incurred on rectification, the balance amount may be recovered as Land Revenue Arrears as per MPLRC.	
9.	**Variation in Quantity and Price**	**Payments for Variations and /or Extra Quantities** The rates for such additional (Extra quantity), altered or substituted work / extra items under this clause shall be worked out in accordance with the following provisions in their respective order: - The contractor is bound to carry out the additional (Extra quantity), work at /the **same rates** as are specified in the contract for the work. If the item is not in the priced BOQ and is included in the SOR of the department, the rate shall be arrived at by applying the quoted tender percentage on the SOR rate. **If the rates for the altered or substituted work are not provided in applicable SOR -** such rates will be derived from the rates for a similar class (type) of work as is provided in the contract (priced BOQ) for the work. **If the rates for the altered, substituted work cannot be determined in the manner specified in the sub clause (c) above -** then the rates for such composite work item shall	In Addition to existing provisions, Additional amendments are proposed: - a) If the Specified quantity of any Items in BOQ is exceeding by more than 10%, b) If **new** items **have to be** used which are not specified in BOQ. c) If any substitute item has **to be** used. d) Descoping of any item by a quantity exceeding 20% of quantity specified in the BOQ, revised technical sanction shall be sought prior to execution. In all the above specified cases revised Technical Sanction shall be sought prior to execution of the item. • If cost exceeds more than 10% of the amount administrative approval and revised technical sanction needs to be taken again.	To control cost escalation and prevent unauthorized excess quantities; ensures proper sanction before variation.

S.No.	Particular	Existing Provisions	Proposed Amendments	Reason for proposed amendment
		be worked out on the basis of the concerned Schedule of Rates minus/plus the percentage quoted by the contractor. If the rates for a particular part or parts of the item is not in the Schedule of Rates and the rates for the altered, or substituted work item cannot be determined in the manner specified in sub clause (b) to (d) above, the rate for such part or parts will be determined by the Competent Authority as defined in the Contract Data on the basis of the rate analysis derived out of prevailing market rates when the work was done.		
10.	**Pre-Qualification Criteria for works costing more than rupees 2 crore for Road & Bridge Works**	**The bidder should have completed either of the below:** **A. Financial Requirement:** a) Three similar works each costing not less than the amount equal to 20% of the probable amount of contract during the last 5 financial years; or b) Two similar works each costing not less than the amount equal to 30% of the probable amount of contract during the last 5 financial years; or c) One similar work of aggregate cost not less than the amount equal to 50% of the probable amount of contract during the last 5 financial years;	**The bidder should have completed either of the below:** **A. Financial Requirement:** a) Three similar works each costing not less than the amount equal to **30%** of the probable amount of contract during the last 5 financial years; or b) Two similar works each costing not less than the amount equal to **40%** of the probable amount of contract during the last 5 financial years; or c) One similar work of aggregate cost not less than the amount equal to **60%** of the probable amount of contract during the last 5 financial years; **Clarification: -** 1. In this regard it is clarified that the requirement in Annexure-Cas well as in Annexure I are generally for having completed similar work in last 5 financial	To ensure participation of technically strong and experienced bidders; prevents inexperienced contractors from taking major works.

S.No.	Particular	Existing Provisions	Proposed Amendments	Reason for proposed amendment
			years. However, the bidders who have executed a part of the project during last 5 financial years, and that part covers all the major items of road construction and the value of such executed part is more than the qualified amount mentioned in Annexure-C and/or Annexure-I shall be considered. 2. It is clarified that the experience of constructing Roads and bridges shall be considered as experience of similar works. irrespective of it being work of rigid or flexible pavement. 3. It is clarified that works completed/executed before last date of bid submission in the current financial year shall also be considered towards works experience requirement described in Annexure-C and Annexure-1-1 of the document. Therefore, for this purpose the works completed/executed during current financial year up to last date of Bid submission shall be considered in this case last 5 financial year will be counted as current financial year and 4 years backwards. i. Average annual construction turnover on the construction works not less than 50% of the probable amount of contract for 3 consecutive years during the last 4 financial years. ii. Executed similar items of work in any one financial year during the last 3	

S.No.	Particular	Existing Provisions	Proposed Amendments	Reason for proposed amendment
			financial years, which should not be less than the minimum, physical requirement, if any, fixed for the work.	
11.	**Qualification Criteria for all tenders**	-	A bidder, whether alone, or in joint venture, should not have Seven or more projects/work in hands running beyond the scheduled completion period as on tender date for any reason whatsoever otherwise he will be considered disqualified.	Since there is no provision for bid capacity for the tender costing less than Rs. 2.00 Cr resulting in getting more numbers of works in hands of contractor beyond their financial capacity and unable to complete the work in stipulated time period. In order to restrict the above practice, the amendment is proposed.
12.	**Purchase of Bitumen from Govt. Refineries**	-	Purchase of bitumen from Govt. refineries only as per MP-PWD Letter No. 3089 dated 03-09-2024 and its amendments.	To ensure **authentic source** and avoid adulteration; improve road quality.
13.	**White Topping**	-	As per ENC PWD Letter No. 165 dated 01-10-2024 and its amendments.	To adopt **new technology** and standard specifications.
14.	**Testing Frequency**	-	As per MP-PWD Letter No. 1010 dated 23-02-2023 and its amendments.	To standardize and increase testing for quality control.
15.	**Stamp Duty**	-	As Per Gazette Notification Dated 30-07-2025.	To align tender documents with latest stamp duty notifications.
16.	**No Blacklisting undertaking by contractor**	Contactor should not be blacklisted in any department of GoMP/undertakings.	The bidder has to provide Litigation/Debarment history in any of the GoMP/ GoI /any other department works in	To ensure only reliable and ethical contractors' participation.

S.No.	Particular	Existing Provisions	Proposed Amendments	Reason for proposed amendment
			the prescribed format as per annexure "A". Contractor should not be blacklisted/debarred by the GoMP/ GoI /any other departments in any other states on the bid submission date and upto the Signing of Agreement date and in such case of blacklisting/debarment the bid shall be disqualified.	
17.	**Royalty and other taxes**		Royalty, Octroi duty and all other taxes applicable except GST are included in the rates. No extra on this account shall be payable in any circumstances. GST will be paid as applicable. GST will not be paid on **Rate analysis based** non-SOR items **that includes GST.** The contractor has to produce the NOC of royalty generated from E-Khanij portal with each running and final bill at the time of payment. If he fails to submit the same, the royalty of minerals used in the work will be deducted at market rate issued by the collector of the concerned district.	To prevent royalty evasion and ensure use of legally sourced materials. (As per Mining department, GoMP order No. F14-10/2018/12/1, Bhopal dated 15-03-2018.

Declaration of the Debarment/Blacklisting

ANNEXURE "A"

Sr. No.	Name of the Work	Name of the agency with complete Address	Name of the Authority issuing debarment/blacklisting	Status of the debarment/blacklisting	Validity of the debarment/blacklisting	Current Status of the debarment/blacklisting, if any		
						Name of the court	Petition no.	Reason of the debarment/blacklisting
1.								
2.								
3.								

I hereby certify that the above information is true and correct to the best of my knowledge

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल
Directorate, Urban Administration & Development, M.P., Bhopal

Shivaji Nagar, Bhopal – 462016
Telephone No.:- 0755-2554085
Email ID- amrut@mpurban.gov.in
Website: www.mpurban.gov.in

क्रमांक / यां.प्र. / 07 / 2025 / 11421 भोपाल, दिनांक 05/10 / 2025

प्रति,

1 समस्त आयुक्त
नगर पालिक निगम
मध्यप्रदेश।

2 समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिका / नगर परिषद,
मध्यप्रदेश।

विषयः— मानक निविदा प्रपत्र में संशोधन करने के संबंध में निर्देश।

संदर्भः—

1. **मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 53 / 16 / 2012 / 19 / यो भोपाल दिनांक 01.01.2014**
2. **मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 1—04 / 014 / 18—2 / 5979 भोपाल दिनांक 16.06.2015**
3. **मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ10—17 / 2020 / 18—2 भोपाल दिनांक 27.11.2020**
4. **मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 237 / 2024 / 18—2 भोपाल दिनांक 06.09.2024**
5. **संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल का पत्र क्र. / यां.प्र. / 07 / 2025 / 10269 भोपाल, दिनांक 12.09.2025**

—00—

मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 53 / 16 / 2012 / 19 / यो भोपाल दिनांक 01.01.2014 द्वारा प्रदेश के सभी कार्य विभाग एवं कार्य विभाग की तरह कार्य करने वाले विभागों में मानक निविदा प्रपत्र जारी किया गया है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा संदर्भित परिपत्र क्र. 2 से विभाग अंतर्गत मानक निविदा प्रपत्र को लागू किया गया है एवं समय—समय पर संशोधन जारी किये गये है।

एतद् द्वारा निर्देशित किया जाता है कि मानक निविदा प्रपत्र की शर्तों में परिवर्तन तथा अर्हता शर्तों के निर्धारण के नियम Procurement Guidelines तथा General Financial Rules (GFR) का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाये। यदि निविदा प्रपत्र की शर्तों में परिवर्तन आवश्यक हो तो संचालनालय से स्वीकृति प्राप्त कर, निविदा जारी की जाये।

(आयुक्त महोदय द्वारा आदेशित)

(प्रदीप एस. मिश्रा)
प्रमुख अभियंता
नगरीय प्रशासन एवं विकास,
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ.क्रमांक / यां.प्र. / 07 / 2025 / 11422 भोपाल, दिनांक– 05-10-2025

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मध्यप्रदेश।
2. निज सचिव, आयुक्त, संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश।
3. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश।
4. समस्त संभागीय अधीक्षण यंत्री / कार्यपालन यंत्री, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
5. समस्त परियोजना अधिकारी (डूडा), मध्यप्रदेश।

प्रमुख अभियंता
नगरीय प्रशासन एवं विकास,
मध्यप्रदेश, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक : एफ 53/16/2012/19/यो   भोपाल, दिनांक 01/01/2014

आदेश

1) राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 01/07/2013 से प्रदेश के सभी कार्य विभाग एवं कार्य विभाग की तरह कार्य करने वाले विभागों में प्रतिशत दर एवं आयटम दर पर निविदा आमंत्रित कर कार्य संपादन करने हेतु मध्यप्रदेश कार्यविभाग नियमावली 1983 के वाल्यूम II के एपेन्डिक्स 2.10, 2.10ए, 2.13, 2.13ए, 2.14 एवं 2.14ए अनुसार लागू प्रपत्रों को विलोपित कर उनके स्थान पर सिर्फ प्रतिशत दर आधारित नया निविदा प्रपत्र एपेन्डिक्स 2.10 के रूप में प्रतिस्थापित है। दिनांक 01/07/2013 को जारी नया निविदा प्रपत्र एपेन्डिक्स 2.10 में परिलक्षित हुई लिपिकीय त्रुटियों को दूर करते हुए नया निविदा प्रपत्र ई-मेल से पीडीएफ फार्मेट में तथा डाक से मूल प्रति में पुनः संलग्न है।

2) समसंख्यक आदेश दिनांक 01/07/2013 में नये निविदा प्रपत्र एपेन्डिक्स 2.10 में परफारमेंस सिक्यूरिटी की राशि (GCC Clause 29), मोबलाइजेशन एडवांस की राशि (GCC Clause 32) एवं ठेकेदार द्वारा कार्य छोड़ने की स्थिति में ठेकेदार को देय अंतिम बिल में से कटौती हेतु छोड़े गये शेष कार्य की राशि का प्रतिशत (GCC Clause 28) तथा प्राईज एडजेस्टमेंट (GCC Clause 31) देने हेतु निविदा की अनुमानित लागत (PAC) की सीमा का निर्धारण संबंधित प्रशासकीय विभागों को वित्त विभाग की सहमति से करने के निर्देश दिये गये है।

3) लोक निर्माण विभाग के जावक क्रमांक 463/13/19/यो दिनांक 12/12/13 से प्रेषित प्रस्ताव पर वित्त विभाग के जावक क्रं. 751/1345/बी–9/चार दि0 26/12/13 से प्राप्त सहमति एनेक्सर–एक के रूप में सलग्न है। तद्नुसार तत्काल प्रभाव से इसी निविदा प्रपत्र के आधार पर प्रतिशत दर आधारित निविदाएं आमंत्रित की जाए।

4) निविदा प्रपत्र एपेन्डिक्स 2.10 की शासकीय मुद्रणालय से मुद्रित मूल प्रति प्राप्त होने पर पृथक से भी भेजी जायेगी ।

सहपत्र– उपरोक्तानुसार

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(विजय सिंह वर्मा)
सचिव,
म.प्र.शासन, लोक निर्माण विभाग

पृ0 क्रमांकः एफ 53/16/2012/19/यो भोपाल, दिनांक 01/01/2014

प्रतिलिपिः—

1) अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल.
2) अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन. वित्त विभाग.
3) महालेखाकार ग्वालियर / भोपाल (मध्यप्रदेश)
4) उपाध्यक्ष एवं सदस्य, पुर्नवास नर्मदाघाटी विकास प्राधिकरण,भोपाल
5) प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, नर्मदाघाटी विकास विभाग, भोपाल.
6) प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, किसान कल्याण एवं कृषि विभाग, भोपाल.
7) प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग, भोपाल.
8) प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उर्जा विभाग, भोपाल,
9) प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल.
10) सचिव, म.प्र.शासन, आवास पर्यावरण विभाग, भोपाल.
11) सचिव, म.प्र.शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, भोपाल.
12) सचिव, म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल.
13) सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, म.प्र.शासन, भोपाल.
14) आयुक्त, जनसम्पर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल.
15) प्रबन्ध संचालक, म.प्र. राज्य सड़क विकास निगम, भोपाल
16) मुख्य तकनीकी परीक्षक (सर्तकता), अरेरा हिल्स, भोपाल.
17) प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, भोपाल.
18) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल.
19) निज सचिव, मा0 मंत्रीजी, लोक निर्माण विभाग, म.प्र.शासन, भोपाल.

सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
लोक निर्माण विभाग

...DHYA PRADESH

मध्य[illegible]
नगरीय विका[illegible]ण विभाग
मध्यप्रदेश, भोपाल

दिशा निर्देश।

क्रमांक एफ 1–04/014/18–2/5979 भोपाल, दिनांक : 16/06/2015

प्रति,

(1) समस्त आयुक्त, समस्त नगरपालिक निगम, मध्यप्रदेश ।

(2) मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद/नगर परिषद, मध्यप्रदेश।

विषयः नगरीय निकायों के माध्यम से संचालित योजनाओं में निविदा आमंत्रण एवं निविदा प्रबंधन पर दिशा निर्देश ।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अंतर्गत राज्य के नगरीय निकायों के माध्यम से संचालित की जा रही विभिन्न योजनाओं के निर्माण कार्यो के संपादन में निविदा जारी करने, उनके मूल्यांकन तथा उनके अनुमोदन करने की प्रकिया में अधिक पारदर्शिता लाने तथा समय सीमा में निविदाओं पर निर्णय लिये जाने की आवश्यकता के दृष्टिगत निम्नलिखित निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये :–

1. निविदा प्रपत्र :–

(क) मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 53/16/2012/19/यो. भोपाल दिनांक 01.01.2014 के अनुसार मध्यप्रदेश कार्य विभाग नियमावली 83 के। अपेंडिक्स 2.10, 2.101, 1.13, 2.13 ए, 2.14 एवं 2.14 ए अनुसार लागू प्रपत्रों को विलोपित करते हुए, उनके स्थान पर प्रतिशत दर आधारित नये निविदा प्रपत्र, अपेंडिक्स 2.10 के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है । मध्यप्रदेश के नगरीय निकायों द्वारा जिन कार्यो को प्रतिशत दर आधारित निविदा प्रपत्र पर संपादित किये जाने का निर्णय लिया जाता है उन समस्त प्रकरणों में, राज्य शासन द्वारा

Scanned with CamScanner

जारी किया गया निविदा प्रपत्र, अपेंडिक्स 2.10 यथावत लागू होगा। इस निविदा प्रपत्र की प्रति संलग्न प्रेषित की जा रही है। इसके अलावा मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ 58/7/2015/19/यो. भोपाल दिनांक 17.04.2015 के अनुसार निविदा पूर्व अर्हता के विषय पर विनिर्देश यथावत लागू होंगे। कान्ट्रेक्ट डेटा सीट की प्रविष्टियां संलग्न परिशिष्ट "1" के अनुसार की जावें।

(ख) निम्नलिखित श्रेणी के कार्यों के लिये निविदा पूर्व अर्हता अनिवार्य रूप से रखी जाएगी :–

(i) जल प्रदाय योजनाएं एवं उनसे संबंधित कार्य।

(ii) जल–मल निकासी योजनाएं एवं उनसे संबंधित कार्य।

(iii) जलप्रदाय अथवा जल–मल निकासी के लिये किसी भी प्रकार की पाईप लाईन से संबंधित कार्य।

(iv) अन्य ऐसे विशिष्ट कार्य जिसमें निविदा पूर्व अर्हता आवश्यक हो, प्रमुख अभियंता के पूर्वानुमोदन से।

(ग) माईल स्टोन का निर्धारण प्रत्येक प्रकरण में संभागीय कार्यपालन यंत्री के परामर्श से संबंधित निकाय द्वारा किया जायेगा। इस विषय पर संचालनालय के प्रमुख अभियंता मानकों का निर्धारण करेंगे।

(घ) निविदा आमंत्रण से अनुमोदन तक की कार्यवाही की समय सीमा संलग्न परिशिष्ट "2" के अनुसार निर्धारित की जाती है।

(ङ) निविदा आमंत्रण से अनुमोदन तक की कार्यवाहियों की प्रक्रिया संलग्न परिशिष्ट "3" के अनुसार निर्धारित की जाती है।

2. अन्य प्रकार के निविदा प्रपत्रों पर की जा रही निविदाओं हेतु वर्तमान प्रक्रिया यथावत् जारी रहेगी, परन्तु निविदा पूर्व अर्हतायें वही रखी जायेंगी जो प्रतिशत दर निविदा प्रपत्र में निर्धारित हैं। इस विषय पर शर्तों में परिवर्तन

Scanned with CamScanner

के लिये प्रमुख अभियंता अधिकृत होंगें । इन प्रकरणों में भी निविदा आमंत्रण से स्वीकृति तक के लिये समय सीमाएँ इस परिपत्र में वर्णित अनुसार होंगी।

3. निविदाओं की वित्तीय बिड खोलें जाने के उपरान्त, न्यूनतम निविदाकार को छोड़कर शेष सभी ठेकेदारों की अमानत राशि (ई.एम.डी.), बिड खोलने के तुरंत बाद वापिस कर दी जाए ।

4. प्रत्येक अनुबंध की एक प्रमाणित प्रति, ठेकेदार को अनुबंध दिए जाने के तीन दिनों के भीतर उपलब्ध करवाई जाए ।

5. निविदा प्रपत्र के सेक्शन 5 में निर्धारित प्रपत्र के अनुसार अनुबंध पर हस्ताक्षर होने के उपरांत पृथक से कार्यादेश जारी करने की आवश्यकता समाप्त की जाती हैं । अनुबंध संपादन दिनांक को ही कार्य प्रारंभ दिनांक माना जाए एवं इस प्रकार का प्रावधान अनुबंध में जोड़ा जाए ।

6. कार्य की ड्राईंग/डिजाईन, निकाय/विभाग व्दारा उपलब्ध कराने हेतु, जहां कार्यपालन यंत्री पदस्थ हों, वहां 15 दिवस में, एवं जहां पदस्थ न हों, उस निकाय से संभाग के कार्यपालन यंत्री को ड्राईंग/डिजाईन 15 दिवस में उपलब्ध कराने के लिए निकाय के मुख्य नगरपालिका अधिकारी एवं यंत्री व्यक्तिशः उत्तरदायी होंगे । संभागीय कार्यपालन यंत्री ड्राईंग/डिजाईन का नियमानुसार अनुमोदन 07 दिवस में करना सुनिश्चित करेंगे । जहाँ ड्राईंग/डिजाईन ठेकेदार व्दारा प्रस्तुत की जाना हो, उसका अनुमोदन, संभागीय कार्यपालन यंत्री/कार्यपालन यंत्री द्वारा, ठेकेदार व्दारा ड्राईंग/डिजाईन प्रस्तुत करने की दिनांक से 15 दिवस में दिया जाना सुनिश्चित किया जाये । ऐसे प्रकरण जिनमें अनुमोदन संचालनालय/अन्य विशेषज्ञों से कराया जाना हो, उसके लिए यह समय सीमा 30 दिवस निर्धारित की जाती हैं ।

7. प्रत्येक निविदत्त कार्य के लिये, ठेका प्रबंधन अत्यंत महत्वपूर्ण है । प्रत्येक स्थानीय निकाय का यह दायित्व होगा कि ठेकेदार से संपादित अनुबंध में, निहित शर्तों का उल्लंघन होने पर, विहित प्रकिया से सक्षम अधिकारी व्दारा नोटिस आदि जारी किया जाये एवं यदि ठेके की शर्तों का गंभीर उल्लंघन

Scanned with CamScanner

पाया जाता है तो, अनुबंध की शर्तों के अनुसार विहित प्रक्रिया से निर्धारित समय में कार्यवाही की जाये । नगरपालिका एवं नगर परिषदों में संपादित किये जा रहे कार्यों के विषय पर ठेका प्रबंधन की मासिक समीक्षा संभागीय कार्यपालन यंत्रियों व्दारा की जाये । संचालनालय स्तर पर प्रमुख अभियंता व्दारा इस विषय पर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये जायें। नगर निगमों के प्रकरणों में निगम आयुक्त द्वारा ठेका प्रबंधन की उचित समीक्षा की व्यवस्था की जाये ।

सचिव, 12/6
मध्यप्रदेश प्रशासन,
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
भोपाल

पृ.क्रमांक एफ 1–04/014/18–2/5186 भोपाल, दिनांक : 16 /06/2015

प्रतिलिपिः

1. निज सचिव, माननीय मंत्री, मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग।
2. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र. भोपाल।
3. प्रमुख अभियंता, मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग नगरीय।
4. उपसंचालक/कार्यपालन यंत्री, संभागीय कार्यालय नगरीय प्रशासन एवं विकास, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित !

सचिव,
मध्यप्रदेश प्रशासन,
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
भोपाल

Scanned with CamScanner

मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 27 /11 /2020

क्रमांक- एफ 10-17/2020/18-2 मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग, के पत्र क्रमांक एफ 53/16/2012/19/यो दिनांक 01/01/2014 से, मानक निविदा प्रपत्र (Standard Bid Document) लागू किया गया था।

2. सुशासन एवं पारदर्शिता के दृष्टिगत, मानक निविदा प्रपत्र के सेक्शन-2 ITB के Clause 17, 18 एवं 19 में,निविदा के लिफाफा 'A' एवं 'B' में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों को, फिजीकल फॉर्म में भी जमा किये जाने की अनिवार्यता, को समाप्त किये जाने का निर्णय, विभाग द्वारा लिया गया है। निर्णय अनुसार, सेक्शन-1NIT के Clause 3 में शपथ पत्र प्रारूप Annexure-B तथा सेक्शन-2 ITB (Instructions to Bidders) के Clause 17, 18, 19 एवं 21 में निम्नानुसार संशोधन लागू किये जाते हैं:-

(क) Section-1 NIT के Clause-3 शपथ पत्र प्रारूप Annexure-B में आवश्यकता अनुसार संशोधन कर प्रतिस्थापित किया जाता है । प्रारूप संलग्न है।

(ख) Section-2 ITB के Clause-17 में Sub Clause 17.2 को निम्नानुसार पढ़ा जावे:-
"EMD/ Bid Security shall be submitted only online using options available in the tender portal within the specified time limit. Biddersare advised to process it well in advance. No claim shall be entertained due to delay in online transactions via payment gateway/banking portal."

(ग) Section-2 ITB के Clause 18 को निम्नानुसार पढ़ा जावे:-
"The Bidder is required to submit digitally signed Bid i.e. Envelop A, B & C Online only. No physical submission of the Bid will be accepted except in exceptional case under clause 19.7."

(घ) Section-2 ITB के Clause 19.7 को निम्नानुसार पढ़ा जावे:-
"In exceptional case, if physical submission of certain documents is found essential, then expressed prior permission must be obtained in writing by the tender issuing authority from an authority, as authorized by the State Government. In such a case, such documents are required to be submitted physically at the place and date specified in the Bid Data Sheet. In case of any mismatch in the documents submitted in the physical form and that uploaded online, or if the contractor fails to submit the document physically, the bid shall be liable for rejection as non-responsive."

(ङ) Section-2 ITB के Clause 21 को निम्नानुसार पढ़ा जावे:-
"The Employer shall notify the successful bidder by issuing a Letter of Acceptance (LOA) that his bid has been accepted. The original copy of affidavit will have to be submitted by the successful bidder at the time of signing of the contract."

27.11.2020

3. Clause 19.7 में उल्लेख अनुसार, ऐसी विशिष्ट निविदाओं जिसमें निविदा सम्बंधित कतिपय आवश्यक दस्तावेज का भौतिक रूप से प्रस्तुतीकरण (Submission of Bid Physically), आवश्यक समझा जावे तो निविदा प्रकाशन के पूर्व, वरिष्ठ प्राधिकारी से पूर्वानुमोदन प्राप्त किया जाना वांछनीय होगा।

4. Clause 19.7 में वरिष्ठ प्राधिकारी को प्राधिकृत किये जाने का अधिकार राज्य शासन में निहित होगा। आगामी आदेश तक,Clause 19.7 में वर्णित वरिष्ठ प्राधिकारी, निम्नानुसार प्राधिकृत किये जाते हैं :-

स.क्र.	प्राधिकारी का नाम	विभाग/निकाय (जिससे विषय संबंधित है)
1	नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग अंतर्गत, नगरीय निकायों हेतु प्राधिकारी	1.नगर परिषद/ नगर पालिका परिषद के मामलों में - संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास। 2. नगर पालिक निगम के मामलों में - आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र. भोपाल।
2	गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल हेतु प्राधिकारी	आयुक्त, गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, म.प्र. भोपाल।
3	विकास प्रधिकारण एवं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारण हेतु प्राधिकारी	आयुक्त/संचालक,नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र. भोपाल।
4	मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कं. लि. हेतु प्राधिकारी -	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कं. लि., म.प्र. भोपाल।
5	राजधानी परियोजना प्रशासन, भोपाल हेतु प्राधिकारी	प्रशासक, राजधानी परियोजना प्रशासन, म.प्र. भोपाल।
6	मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कं. लि., भोपाल हेतु प्राधिकारी	प्रबंध संचालक,मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कं. लि., भोपाल।
7	नगरीय प्रशासन एवं विकास अंतर्गत गठित विभिन्न स्मार्ट सिटी कंपनी हेतु प्राधिकारी	आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र. भोपाल।

उपरोक्त संशोधन का प्रभाव, पत्र जारी होने के उपरांत जारी की जानेवाली समस्त निविदाओं पर होगा। इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने का दायित्व, निविदा आमंत्रण करने वाले प्राधिकारी का होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

27.11.2020

(डॉ अमिताभ अवस्थी)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

पृष्ठांकन क्र एफ 10-17/2020/18-2 भोपाल दिनांक 27.11. 2020

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, मान. मंत्री जी, म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र. भोपाल।
4. आयुक्त, गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, म.प्र. भोपाल।
5. आयुक्त, नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र. भोपाल।
6. प्रबंध संचालक, म.प्र. स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पो. लिमि., भोपाल।
7. प्रमुख अभियंता, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र. भोपाल।
8. प्रमुख अभियंता, मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कं. लिमि. भोपाल।
9. प्रमुख अभियंता,मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कं. लि., भोपाल
10. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, स्मार्ट सिटी, म.प्र.।
11. अधीक्षण यंत्री, राजधानी परियोजना प्रशासन, म.प्र. भोपाल।
12. समस्त संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र.।

27-11-2020

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

|| AFFIDAVIT ||

(To be contained in Envelope A)

(On Non Judicial Stamp of Rs. 100)

I/we ____ who is/ are ____________________ (status in the firm/ company) and competent for submission of the affidavit on behalf of M/S ____________________ (contractor) do solemnly affirm an oath and state that:

I/we am/are fully satisfied for the correctness of the certificates/records submitted in support of the following information in bid documents which are being submitted in response to notice inviting e-tender No. ____________ for ______________________________ (name of work) dated __________ issued by the ______________ (name of the department).

I/we am/ are fully responsible for the correctness of following self-certified informations/ digitally signed documents and certificates:

1. That the self-certified informations/ digitally signed documents given in the bid document are fully true and authentic.
2. That:
   a. Information regarding financial qualification and annual turnover, submitted online is correct.
   b. Information regarding various technical qualifications, submitted online is correct.
3. No close relative of the undersigned and our firm/company is working in the department.

OR

Following close relatives are working in the department:

Name ____________ Post ________________ Present Posting __________

Signature with Seal of the Deponent (bidder)

I/ We, ____________________ above deponent do hereby certify that the facts mentioned in above paras 1 to 3 are correct to the best of my knowledge and belief. In the event of any information is found to be incorrect/ untrue or found violated, then without giving any prior notice,our bid shall be liable for rejection or termination of contract, without prejudice to any other rights of remedy including the forfeiture of the bid security/performance security.

Verified today ___________ (dated) at ____________ (place).

Signature with Seal of the Deponent (bidder)

मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवंआवासविभाग
मंत्रालय

क्र./एफ– 237/2024/18–2 दिनांक 06/09/2024

प्रति, 2165/22655 26/24/182

1. समस्त आयुक्त,
नगर पालिक निगम,
मध्यप्रदेश।

2. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद/नगर परिषद,
मध्यप्रदेश।

विषयः– अव्यवहारिक निविदाओं (Unworkable Rates) में Additional Performance Security लिये जाने के संबंध में।

संदर्भः–1. म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग का आदेश क्र. एफ 10–17/2020/18–2, दिनांक 25.08.2022।

2. म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग का आदेश क्र. 1244, दिनांक 03.02.2023।

---00---

म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग का आदेश क्र. एफ 10–17/2020/18–2, दिनांक 25.08.2022 से अव्यवहारिक दरों को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रतिशत दर आधार पर आमंत्रित की जाने वाली निविदाओ में प्राप्त न्यूनतम दर 10% से अधिक नीचे (more than ten percent below) को अव्यवहारिक दर (Unworkable Rates) मानते हुये Additional Performance Security लिये जाने का प्रावधान किया गया है। अव्यवहारिक दरें प्राप्त होने पर सफलतम निविदाकार से अतिरिक्त परफॉरमेन्स गारंटी (Additional Performance Guarantee) के रूप में, प्राप्त निविदा राशि (Contract Amount) एवं एस.ओ.आर. से 10 प्रतिशत कम की निविदा राशि (Cost of PAC @ 10% Below) के अंतर की राशि लिया जाना प्रावधानित है।

प्रायः यह देखने में आया है कि निविदाकारों द्वारा निविदा प्राप्त करने के उद्देश्य से निविदाओं में अव्यवहारिक दरें प्रस्तुत की जाती हैं, जिससे कार्यों की गुणवत्ता प्रभावित होती हैं एवं परियोजना को समय–सीमा में पूर्ण करने में भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जिसे हतोत्साहित करने के उद्देश्य से निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं:–

1. Performance Security एवं Additional Performance Security के संबंध में निविदा प्रपत्र में निम्नानुसार संशोधन किये जाते हैं:–

अधिकारी/कर्मचारी SE(RG)
दि. 10-09-24

E:\whatsapp\performance security revised Sep 2024.docx1

AE(RS) 6629 10/9/24

S. N.	Reference	Particulars*	Value Applicable for Works
1	ITB Clause 22	Performance Security & Additional Performance Security	ITB Clause 22 – 1. Performance Security to be deposited @ 3 (Three) % of the contract amount. 2. Additional Performance Security to be deposited @ equel to:- (a) If rates are below 10% and upto 20% - value equal to the percentage below 10% of probable amount of contract (PAC). (b) If rates are below 20% - as per (a) and twice the value below 20% of probable amount of contract (PAC).
2	ITB Clause 22	Performance Security & Additional Performance Security shall be vaild up to	Vaild upto 3 months from the date of issuance of completion certificate.
Note- These values to be incorporated in the bid data sheet/ contract data sheet.			

2. उपरोक्तानुसार अतिरिक्त परफॉरमेन्स गारंटी (Additional Performance Guarantee) की राशि की गणना के लिये निम्नानुसार गणितीय विधि अपनाई जावे:—

(अ) यदि निविदा की अनुमानित लागत (PAC) Rs. 100.00 लाख है तथा सफलतम निविदाकार की दर 27 प्रतिशत Below SOR हो तो अतिरिक्त परफॉरमेन्स गारंटी की गणना निम्नानुसार होगी :—

(a) अनुसार –
अतिरिक्त परफॉरमेन्स गारंटी की राशि
= (Probable Amount of Contract - Rates below ISSR beyond 10%)
= 100(20%-10%) = 10.00 लाख

(b) अनुसार
= Probable Amount of Contract x2 (Rates below ISSR beyond 20%)
= 100 x 2x (27 - 20) = 14.00 लाख

इस प्रकार कुल 24 लाख (10+14) अतिरिक्त परफारमेंस गारंटी जमा कराई जायेगी।

3. अव्यवहारिक दरों (Unworkable Rates) हेतु अतिरिक्त परफॉरमेन्स गारंटी (Additional Performance Guarantee) की राशि लिये जाने का स्पष्ट उल्लेख निविदा प्रपत्र में किया जाए। निविदा स्वीकृति की सूचना (Letter of Acceptance) के समय भी इसका उल्लेख आवश्यक रूप से किया जाए।

E:\whatsapp\performance security revised Sep 2024.docx2

परफॉरमेन्स गारंटी निविदा में उल्लेखित मान्य Instrument में ली जा सकती है किंतु अतिरिक्त परफॉरमेन्स गारंटी मात्र fixed deposit receipt (FDR) के रूप में मान्य होगी।

5. अतिरिक्त परफॉरमेन्स गारंटी (Additional Performance Guarantee) जमा होने पर उसकी सत्यता का परीक्षण, बैंक से कराकर ही अनुबंध संपादित किया जाए।

6. अनुबंध न करने की स्थिति में निविदाकार की अमानत राशि (Bid Security) राजसात करने की कार्यवाही की जाए। ऐसे निविदाकारों को कम से कम 02 वर्ष के लिये प्रतिबंधित करने हेतु प्रस्ताव संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास को प्रेषित किया जाए।

7. प्रायः ऐसे कार्य समय–सीमा में पूर्ण नहीं किये जाते हैं। कार्य के प्रभारी यंत्री एवं आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी प्रगति की सतत् निगरानी कर यह सुनिश्चित करेंगे कि यह कार्य निर्धारित समय–सीमा में पूर्ण हों।

8. यदि अनुबंध में निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं होने पर, संविदाकार द्वारा समयावधि बढ़ाने की मांग की जाती है तो ठेकेदार की मांग पर बढ़ाई गई समयावधि, के लिए मूल निविदा शर्तों की पेनाल्टी के अतिरिक्त अव्यवहारिक दरों के मामले में अतिरिक्त पेनाल्टी भी ली जायेगी। अतिरिक्त पेनाल्टी प्रत्येक एक माह की समयवृद्धि के लिए अतिरिक्त परफारमेंस गारंटी का 1/12 भाग होगा। इस शर्त का उल्लेख निविदा की Special Conditions of Contract में पृथक से किया जाये।

9. ऐसे कार्य जिनमें अव्यवहारिक द्ररें (Unworkable Rates) प्राप्त होती हैं, उनमें गुणवत्ता नियंत्रण का विशेष ध्यान देते हुये कार्य निर्धारित मापदण्ड अनुसार ही कराये जायें।

10. कार्य की गुणवत्ता प्रभावित होने, संविदाकार द्वारा अनुबंध न करने अथवा कार्य पूर्ण न करने की स्थिति में निविदा शर्तों अनुसार कार्यवाही के अतिरिक्त, ठेकेदार को काली सूची में डालने (Black Listing) की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास को प्रेषित किये जायें।

11. इस आदेश को निविदा एवं अनुबंध का भाग बनाना सुनिश्चित किया जाए।

12. यह आदेश लोक निर्माण विभाग के पृष्ठांकन क्र. 7971/ACS/24 दिनांक 03.09.2024 की सहमति अनुसार जारी किया जा रहा है।

इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का दायित्व, निकाय के आयुक्त/ मुख्य नगरपालिका अधिकारी का होगा।

(नीरज मण्डलोई)
प्रमुख सचिव
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मध्यप्रदेश शासन।

E:\whatsapp\performance security revised Sep 2024.docx3

पृ0 क्रमांक एफ 238 /2024/18—2

प्रतिलिपिः— 2166/2265326/24/18-2 भोपाल, दिनांक 06/09/2024

09-9-24

(1) निज सचिव, मान. मंत्रीजी, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।

(2) अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग/नर्मदा घाटी विकास/जल संसाधन विभाग

(3) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल।

(4) सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल।

(5) आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल।

(6) प्रमुख अभियंता, नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल।

(7) प्रमुख अभियंता, मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, भोपाल।

(8) समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, स्मार्ट सिटी, भोपाल।

(9) समस्त संभागीय अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश।

(10) समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश।

(11) वेब कंटेन्ट मैनेजर, सी.एम.ए. वेबसाईड पर अपलोड किये जाने हेतु।

(12) आर्डर बुक।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

6/9

प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल
Directorate, Urban Administration & Development, M.P.Bhopal

Palika Bhawan, Near 6 No. Bus Stop
Shivaji Nagar, Bhopal – 462016
Email.cminfra_uad@mpurban.gov.in
Website: www.mpurban.gov.in

क्रमांक / यां.प्र. / 07 / 2025 / 10269 भोपाल, दिनांक 12/ 9 / 2025

प्रति,

1. समस्त आयुक्त नगर पालिक निगम, म.प्र. ।
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्मार्ट सिटी कं., म.प्र. ।
3. प्रमुख अभियंता मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लि. भोपाल ।
4. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक/अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र. ।
5. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद/नगर परिषद, म.प्र. ।

विषय :- निविदाओं में प्रतिस्पर्धा बढाने तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्री-क्वालिफिकेशन अनिवार्य किये जाने के संबंध में ।

संदर्भ :- 1. उप सचिव म.प्र. शासन लोक निर्माण विभाग का पत्र 2582479/2025/19/यो-813 दिनांक 25.03.2025 ।
2. प्रमुख अभियंता नगरीय विकास एवं आवास विभाग का पत्र क्रमांक 8719/या.प्र./07-5/17 दिनांक 04.07.2017 ।

—00—

संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी संदर्भित पत्र क्र. 02 अनुसार भवन निर्माण/जल प्रदाय/सीवरेज परियोजना संबंधी कार्य के संबंध में रू. 02 करोड़ से अधिक के कार्यों की निविदा में तथा भवन निर्माण/जल प्रदाय/सीवरेज परियोजना संबंधी कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्यों में रू. 05 करोड़ से अधिक के कार्यों की निविदा में प्री-क्वालिफिकेशन रखा जाना प्रावधानित है ।

लोक निर्माण विभाग के संदर्भित पत्र क्र. 01 से भवन निर्माण कार्य के अतिरिक्त अन्य सभी निर्माण कार्यों में 05 करोड़ से अधिक की निविदा के स्थान पर रू. 02 करोड़ से अधिक की निविदाओं में निविदा पूर्व अर्हता (प्री-क्वालिफिकेशन) रखना अनिवार्य किये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं ।

अत: विभाग अंतर्गत आने वाली समस्त निकायों एवं अधीनस्थ संस्थानों में भवन निर्माण/जलप्रदाय/सीवरेज परियोजना संबंधी कार्य के अतिरिक्त अन्य सभी रू. 02 करोड़ से अधिक राशि के कार्यों की निविदाओं में निविदा पूर्व अर्हता (प्री-क्वालिफिकेशन) रखा जाना अनिवार्य किया जाता है ।

यह आदेश पत्र जारी होने के दिनांक के उपरांत आमंत्रित की जाने वाली समस्त निविदाओं पर प्रभावशील होगा ।

(प्रदीप एस. मिश्रा)
प्रमुख अभियंता
नगरीय प्रशासन एवं विकास
म.प्र. भोपाल

कार्यालय नगरपालिका परिषद,नीमच जिला नीमच (म.प्र.)

क्रमांक-440 /लो.नि./तीन/2026 नीमच, दिनांक 10.4.2026

शहरी आंतरिक मार्गों में सीमेंट कांक्रीट/नाली निर्माण/डामरीकरण/बिल्डिंग कार्य व अन्य निर्माण कार्य के लिए सामान्य दिशा–निर्देश

1. निविदाकार को शासन निर्देशानुसार रोड़ सेफ्टी एवं अन्य सेफ्टी उपकरण के साथ निर्माण कार्य प्रारंभ करना सुनिश्चित करें अन्यथा किसी प्रकार की कोई जनहानि होती है तो कार्यवाही के लिये आप स्वयं की जवाबदारी रहेगी ।

2. निविदाकार को शासन के निर्देशानुसार निर्माण स्थल पर निर्माण कार्य के दौरान किसी प्रकार से टूट–फूट/नल कनेक्शन/पाईप लाईन/सीवरेज लाईन/चेम्बर/केबल एवं अन्य कार्य को मरम्मत करने और मरम्मत में लगने वाली सामग्री की खर्च राशि आप स्वयं को वहन करने की जवाबदारी रहेगी । आपके द्वारा वहन नहीं किया जाता है तो व्यय राशि आपके देयक से काटी जावेगी ।

3. निविदाकार को शासन के निर्देशानुसार निर्माण स्थल पर निर्माण कार्य के दौरान अतिक्रमण आप स्वयं के उपकरण से हटाने की जवाबदारी रहेगी । अतिक्रमण हटाने में लगने वाली खर्च की राशि आप स्वयं को वहन करने की जवाबदारी रहेगी ।

4. निविदाकार को शासन के निर्देशानुसार निर्माण स्थल पर निर्माण करने के दौरान निर्माण सामग्री हटाने/साफ–सफाई करने की जवाबदारी आप स्वयं की रहेगी ।

5. निविदाकार को शासन के निर्देशानुसार अनुबंध के समय लगने वाली प्रतिभूति राशि की एफ. डी.आर. की समयावधि डिफेक्ट लाईबिलिटी अवधि या 03 वर्ष/अतिरिक्त प्रतिभूति राशि की एफडीआर कार्यादेश समय–सीमा से 03 माह अधिक तक की प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।

6. शासन के निर्देशानुसार एफ.डी.आर. आर.बी.आई से अनुमोदित बैंक शाखा की ही प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें कार्यवाही के लिए आप स्वयं जिम्मेदार रहेंगे ।

7. निविदाकार को शासन के निर्देशानुसार निर्माण स्थल पर कार्यरत कर्मचारी सेफ्टी उपकरण में/कर्मचारी का जीवन सुरक्षा बीमा होना सुनिश्चित करें । अन्यथा कार्यवाही के लिए आप स्वयं जवाबदारी रहेगी ।

निरंतर..............2

उपयंत्री नगरपालिका नीमच उप यंत्री नगर पालिका, नीमच

8. निविदाकार को शासन के निर्देशानुसार निर्माण स्थल पर तकनीकी कर्मचारी रखना एवं मौके स्थल पर मटेरियल टेस्ट लेब रखना अनिवार्यतः सुनिश्चित करें अन्यथा कार्यवाही के लिए आप स्वयं की जवाबदारी रहेगी ।

9. निविदाकार को शासन के निर्देशानुसार निर्माण कार्य में उपयोग में लाईन जाने वाली सामग्री की रायल्टी रसीद/क्लीरेंस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा कार्यवाही के लिए आप स्वयं की जवाबदारी रहेगी ।

10. निविदाकार को समय–समय पर किये जा रहे निर्माण कार्य स्थल की पूर्व की फोटोग्राफी और निर्माण कार्य दौरान की स्टेज अनुसार फोटोग्राफी, जियोटेकिंग फोटो अनुसार प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा कार्यवाही के लिए आप स्वयं की जवाबदारी रहेगी ।

11. निविदाकार को शासन के निर्देशानुसार निर्माण स्थल पर निर्माण उपकरणों का उपयोग करना अतिआवश्यक होगा । उपकरण 1. निडिल वाइब्रेटर 2. प्लेट बाइब्रेटर, 3. स्क्रीट वाइब्रेटर, 4. फ्लोटर मशीन, 5. फलोरी मशीन, 6. रोलर मशीन, 7. कटर मशीन, 8. पेवर मशीन, 9. स्पीलर/स्प्रे ईमलशन मशीन, 10. स्लीप फार्म पेवर मशीन, 11. मेकेनिकल ब्रेमिंग मशीन, 12. ग्रेडर मशीन, 13. लेवल मशीन द्वारा सर्वे उपरांत सड़क का फोरमेशन लेवल तैयार करना एवं उनके अनुरूप कार्य करना अनिवार्य है उक्त मशीनरी से कार्य नहीं करने पर कार्यवाही के लिये आप स्वयं की जवाबदारी रहेगी ।

12. निविदाकार को कार्यआदेश में दिए समयावधि में गुणवत्तापूर्वक कार्य पूर्ण करने की बाध्यता रहेगी । निश्चित समयावधि में गुणवत्ता पूर्वक कार्य पूर्ण नहीं होने पर समस्त जवाबदारी आप स्वयं की रहेगी ।

13. निविदाकार को शासन के निर्देशानुसार का समय–समय पर प्राप्त होने वाले आदेशो/निर्देशो का पालन करना अतिआवश्यक रहेगा एवं निर्माण कार्यो की फ्रिकवेंसी के आधार पर गुणवत्ता परिक्षण कराया जाकर, गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें । अन्यथा समस्त कार्यवाही के लिए आप स्वयं की जवाबदारी रहेगी ।

14. निविदाकार द्वारा शासन से प्राप्त आदेशो/निर्देशो की अवहेलना करने पर निविदा शर्तो के अनुरूप कार्यवाही के लिए मुख्य नगरपालिका अधिकारी की बाध्यता रहेगी ।

उक्त सभी कंडिका क्रमांक 1 से लगाकर 14 तक सभी शर्तो का निविदाकार को पालन करना अनिवार्य रहेगी यदि नहीं किया जाता है तो निविदा शर्तो के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी जिसकी समस्त उत्तदायित्व संबंधित निविदाकार का रहेगा ।

उपमंत्री
नगरपालिका परिषद, नीमच

उप यंत्री
नगर पालिका, नीमच

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगरपालिका परिषद, नीमच